(14)

<u>निबंधित / ई–मेल</u> पत्रांक–8 / शि०पु० 14–02 / 2024.518

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा०प्र०से०,
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

<u>सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,</u>
बिहार।
<u>सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड,</u>
बिहार, पटना।
<u>सचिव, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड,</u>
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03/7/2024

विषयः– **राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने तथा जिला चयन समिति द्वारा आवेदन अग्रसारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– D.O. No. F. 1-7/2024-NAT दिनांक–27.06.2024, मार्गदर्शिका एवं Evaluation Matrix की छायाप्रति प्रेषित करते हुये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 हेतु शिक्षकों द्वारा Self Nomination के लिए Registration एवं ऑनलाईन आवेदन करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरत विभाग, भारत सरकार के वेबसाईट www.education.gov.in एवं http://nationalawardstoteachers.education.gov.in पर दिनांक–27.06.2024 से दिनांक–15.07.2024 तक निर्धारित किया गया है। District Selecation Committee (DSC) के द्वारा उक्त आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से State Selecation Committee (SSC) को अग्रसारित किया जाना है। भारत सरकार से प्राप्त उक्त पत्र के आलोक में District Selection Committee (DSC) के सदस्य निम्नवत् हैं:–

1. District Education Officer – अध्यक्ष
2. Representative of State/UT Govt. – सदस्य
3. One Reputed academician nominated by District Collector –सदस्य

उक्त पत्र के आलोक में District Selection Committee (DSC) के कार्य निम्नवत् हैं:–

(i) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए आवेदन में अंकित तथ्यों को Physical Verification करने हेतु Verification Team गठित कर दिया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए शिक्षक का चयन संलग्न Evaluation Matrix के अनुसार किया जायेगा। जिला चयन समिति (**DSC**) द्वारा निम्न आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा:– **<u>The DSC shall certify that marks have been awarded after due verification of the facts.</u>**

(iii) Evaluation/Marking करने के पश्चात् District Selection Committee द्वारा 03 (तीन) शिक्षकों के नाम का चयन करते हुए प्रत्येक के vigilance clearance certificate के साथ ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से State Selection Committee को भेजा जाएगा।

13

(iv) उक्त के अतिरिक्त District Selection Committee (DSC) द्वारा Exceptional Circumstances को संज्ञान में लेते हुए Special Educators एवं differently abled teachers/head of schools में से अधिकतम एक व्यक्ति का चयन करते हुए State Selection Committee को भेजा जा सकेगा।

(v) भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में District Selection Committee (DSC) का एक सदस्य Representative of State है। उक्त सदस्य को चिन्हित कर विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जायेगा। District Selection Committee (DSC) का जिलावार User Id एवं Password स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को ई–मेल किया जायेगा। User Id एवं Password को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आपकी होगी। समय–समय पर स्कूल शिक्षा और साक्षरत विभाग, भारत सरकार के वेबसाईट www.education.gov.in पर अपडेट की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे।

(vi) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर State Selection Committee (SSC) को अग्रसारित किये जाने वाले आवेदनों में से ही विगत वर्ष की भाँति राजकीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 हेतु शिक्षकों का चयन किया जायेगा। राजकीय शिक्षक पुरस्कार हेतु यथासंभव 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा तथा इसमें पूर्व की भाँति नियोजित शिक्षक भी सम्मिलित होंगे।

अतः निदेश दिया जाता है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरत विभाग, भारत सरकार के उक्त पत्र को विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाय एवं शिक्षकों को स्कूल शिक्षा और साक्षरत विभाग, भारत सरकार के वेबसाईट www.education.gov.in पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाय। तदरोपरांत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 हेतु शिक्षकों के नामों की अनुशंसा निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाईन पोर्टल पर State Selection Committee (SSC) को विधिवत् रूप से अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०–यथोपरि।

विश्वासभाजन

03/07/2024

(मिथिलेश मिश्र)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 8/शि०पु० 14–02/2024 518 पटना दिनांक 03/7/2024

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– D.O. No. F. 1-7/2024-NAT दिनांक–27.06.2024, मार्गदर्शिका एवं Evaluation Matrix की छायाप्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि District Selection Committee (DSC) के सदस्य के रूप में एक Reputed academician को नामित कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को संसूचित किया जाय।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित किया जाय।

03/7/2024

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा